न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **98/2019**

प्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. इनायती बेवा समेखां, इसे खां, निजाम पि. समेखां,
2. नसीर खां, भूरे खां, सफी खां पि. नेना कौम मुसलमान सा. इन्द्रानगर नवोडा बैरा।
3. सरंपच, ग्राम पंचायत केसरपुरा
4. बरगत खां, निबेखां पि. सिन्दोल कौम मुसलमान सा. इन्द्रानगर, नवौडा बेरा
5. बरगत खां वल्द हकीम खां कौम मुसलमान सा.इन्द्रानगर, नवौडा बेरा

आदेश दि0 16.08.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **इन्द्रानगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **नवौडा बेरा सडक से रा.प्रा. वि. नारोणियों की ढाणी व आगे तक** ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **इन्द्रानगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **इन्द्रानगर** के खसरा न 1621, 1625, 4438/1625 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** खतौनी परिवर्तन में वर्णित विवरण अनुसार ग्राम आबादी **इन्द्रानगर** से **नवौडा बेरा सडक से रा.प्रा. वि.नारोणियों की ढाणी व आगे तक** सरहद ग्रेवल सडक रास्ता दर्ज करने का **इन्द्रानगर** निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य [illegible] सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समची स्थिति [illegible] या गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–[illegible] 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी [illegible]/ ग्रेवल सडक/ डामर [illegible] राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलि[illegible] नही है, मौके पर पुराने सम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:39:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण इनायती वगैराह के द्वारा सहमति पत्र पेश कर रास्ता कटान करने की सहमति की, शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम **इन्द्रानगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) आबादी **नवौडा बेरा सडक से रा.प्रा. वि.नारोणियों की ढाणी व आगे तक** ग्रेवल सडक से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **इन्द्रानगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो आबादी **नवौडा बेरा सडक से रा.प्रा. वि.नारोणियों की ढाणी व आगे तक** ग्रेवल सडक जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम **इन्द्रानगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **नवौडा बेरा सडक से रा.प्रा. वि.नारोणियों की ढाणी व आगे तक** ग्रेवल सडक से ग्राम **इन्द्रानगर** के खसरा नं. 1621, 1625, 4438/1625 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:39:29 IST
Reason: SelfAttested

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned with CamScanner